हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 13 अंक : 11 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 नवम्बर, 2022

समता आन्दोलन
हर इन्सान-एक समान

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

अध्यादेश पर अध्यादेश पर अध्यादेश: प्रदेश सरकार की मनमानी

समता आन्दोलन की हाई कोर्ट से गुहार

जयपुर: समता आन्दोलन समिति ने मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय को पत्र लिखकर वर्ष 2019 में गुर्जर आरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये असंवैधानिक अध्यादेश को निरस्त किये जाने की मांग की है।

पत्र में समता आन्दोलन समिति ने निवेदन किया है कि समता आन्दोलन द्वारा पिछले वर्षों में राज्य सरकार के गुर्जर आरक्षण के दो अध्यादेशों को 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा से अधिक होने के आधार पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाऐं प्रस्तुत करके असंवैधानिक घोषित करवा कर निरस्त करवाया जा चुका है। तीसरी बार राज्य सरकार द्वारा पुन: 50 प्रतिशत की सीमा रेखा से अधिक आरक्षण दिये जाने पर प्रार्थी द्वारा याचिका संख्या WP(C) 000608/2019 के जरिये राज्य सरकार के अध्यादेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा तीसरी बार जारी किये गये गुर्जर आरक्षण अध्यादेश को अन्य याचिका कर्ताओं द्वारा प्रस्तुत याचिका संख्या 9398/2019, 2852/2020 एवं 7187/2020 के जरिये चुनौती दी गई है जो लगभग साढे तीन वर्षों से लम्बित हैं। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा हजारों की संख्या में अपात्र अभ्यर्थियों को उपरोक्त असंवैधानिक अध्यादेश के अधीन राज्य की विभिन्न सेवाओं में भर्ती किया जाकर राज्य के हजारों पात्र एवं योग्य अभ्यर्थियों को अविधिक रूप से नुकसान पहुंचाया जा चुका है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिसम्बर 2019 में इस अपेक्षा के साथ कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा गुर्जर आरक्षण से संबंधित याचिकाओं का निस्तारण शीघ्र कर दिया जावे, हमारी याचिका संख्या WP(C) 000608/2019 को अप्रेल 2020 में फिक्स किया गया था जो अभी तक लम्बित है।

इन महत्वपूर्ण याचिकाओं के लम्बित रहने, अपात्र गुर्जरों को लगातार नियुक्तियाँ मिलने और पात्र अभ्यर्थियों को लगातार वोटों की राजनीति के अधीन नियुक्तियों से वंचित रखे जाने के कारण प्रदेश की प्रबुद्ध जनता में यह आम धारणा बन रही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय राज्य सरकार के असंवैधानिक कृत्यों को रोकने में रूचि नहीं ले रहा है। ऐसी धारणा का बलवती होना पीड़ादायक होने के साथ-साथ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा को गिराने वाला है।

अत: पत्र में प्रार्थना की गई है कि उपरोक्त याचिका संख्या 9398/2019, 2852/2020 एवं 7187/2020 में तत्काल निर्णय करने का अनुग्रह करें। यदि किन्हीं तकनीकी कारणों से निर्णय करने में कुछ समय लगने की संभावना हो तो कम से कम गुर्जर आरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 के शुरू में जारी किये गये असंवैधानिक अध्यादेश पर तत्काल रोक लगाने की कृपा करें।

पूर्व सैनिकों को पिछड़ा मान कर अलग से आरक्षण प्रावधान करना अविधिक /असंवैधानिक: समता आन्दोलन

पूर्व सैनिकों का आरक्षण समाप्त करवाने की साजिश

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर अनुरोध किया है कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों को कृत्रिम रूप से "पिछड़ा" मान कर आरक्षण देने का प्रयास किया जाता है तो यह पूरी तरह अविधिक, असंवैधानिक और सम्मानित पूर्व सैनिकों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कदम होगा।

समता आन्दोलन समिति द्वारा मुख्यमंत्री और राजस्थान के सभी सम्मानित विधायकों को लिखे गये पत्र में कहा गया है कि पिछले कुछ समय से कांग्रेस के विधायक हरीश चौधरी पूर्व सैनिकों को पिछड़ा मानते हुये अलग से आरक्षण प्रावधान करवाने की अविधिक जातिवादी मांग करते आ रहे है जो स्पष्टत: पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ समाप्त करवाने की साजिश प्रतीत होती है।

यह सर्वविदित है कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) में केवल "पिछड़ों" को ही आरक्षण दिये जाने का प्रावधान किया गया है। पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का प्रावधान संविधान के किसी भी अनुच्छेद के अधीन अनुमोदित नहीं है। इसीलिए केन्द्र सरकार द्वारा भी और कुछ राज्य सरकारों द्वारा भी होरीजेन्टल आरक्षण की आड़ में पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ देकर उपकृत करने का प्रयास किया गया है। यदि जातिवादी नेता हरीश चौधरी की अविधिक मांग को स्वीकार करते हुये पूर्व सैनिकों के आरक्षण को किसी भी तरह से होरिजेन्टल की बजाय वर्टिकल करने का प्रयास किया जाता है अर्थात पूर्व सैनिकों को कृत्रिम रूप से "पिछड़ा" मान कर आरक्षण देने का प्रयास किया जाता है तो यह पूरी तरह अविधिक, असंवैधानिक और सम्मानित पूर्व सैनिकों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कदम होगा।

अत: इस अविधिक और असंवैधानिक मांग को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाये अन्यथा समता आन्दोलन को मजबूर होकर सरकार की अविधिक/असंवैधानिक कार्यवाही को न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त करवाना होगा जिससे पूर्व सैनिकों का होरिजेन्टल आरक्षण भी खतरे में पड़ सकता है।

अध्यक्ष की कलम से

"वर्तमान ही पथ है"

साथियों,

ये तो साफ है, 15 अगस्त 1947 से पहले का कालखंड गुलामी के अंधकार का था। तब के किसी संदर्भ पर वर्तमान में उलझना उचित नहीं कहा जा सकता। एक तो उस समय के जिस किसी व्यक्ति के विरोध या पक्ष में चर्चा की जाती है तो वह पानी में रई घुमाने जैसा है। क्योंकि उसका सत्यापन अथवा खण्डन करने वाला व्यक्ति वर्तमान नहीं है।

कहा भी गया है कि इतिहास की गाय भले ही कितनी भी स्वस्थ व सुंदर चित्रित की जाये वह दूध नहीं दे सकती। अत: सही और सार्थक बात यही है कि चुनावी मुद्दे वर्तमान और वर्तमान और अधिक हुआ तो 75 साल के भीतर ही रखे जाने चाहिये। दूसरी बात ये भी महत्वपूर्ण है कि कम से कम जाति-धर्म पर चर्चा करते समय बेहद सावधानी बरती जाये।

इन दिनों टीवी डिबेटों में अप्रत्याशित आक्रामकता देखने को मिल रही है। सभी जानते हैं कि आधे पौने घंटे की इन बहसों की कोई उपादेयता नहीं है, फिर भी प्रतिभागियों का आवेशित हो जाना केवल आवेश बढाने का ही काम करता है जो किसी के हित में नहीं है।

हालांकि वर्तमान में प्राय: सभी पार्टियां लोकहित की बात तो करती हैं लेकिन सरकार बने बाद वे सब "जुमलों" की श्रेणी में रख दी जाती हैं। देश के नेताओं पर आज इसीलिये लोगों का विश्वास बहुत कम हो चला है। इतना कम कि अब जनता अपने नेताओं को भी कर्मचारी की श्रेणी में रखने लगी है और इसीलिए आरोप भी इसी स्तर के लगाने लगी है। समय है कि पार्टियां इन बातों पर मंथन करके जनता को इतिहास की गलियों में भटकाने की बजाय वर्तमान के राजपथों पर साथ लेकर चलें।

जय समता

समता आन्दोलन समिति का मुख्यमंत्री के अभिनन्दन हेतु छठा और अन्तिम स्मरण पत्र

दिनांक 01.04.1997 से राज्य के सभी सेवा संवर्गों में समयबद्ध पदोन्नति के आदेश यथाशीघ्र जारी करे: समता आन्दोलन

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने मुख्यमंत्री को छठा और अन्तिम स्मरण पत्र लिख कर दिनांक 01.04.1997 से राज्य के सभी सेवा संवर्गों में समयबद्ध पदोन्नति के आदेश यथाशीघ्र जारी करते हुए संशोधित पदोन्नति सूचियां एवं संशोधित वरिष्ठता सूचियाँ सभी परिलाभों सहित शीघ्रातिशीघ्र जारी करके प्रदेश के 05 लाख से अधिक कर्मठ, निष्ठावान एवं राष्ट्रवादी लोकसेवकों द्वारा भुगते जा रहे अन्याय, अपमान और आर्थिक नुकसान से मुक्ति दिलवाने की मांगी की है।

पत्र में समता आन्दोलन समिति ने निवेदन किया है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव के अपने घोषणापत्र में चेप्टर संख्या-25 के वचन संख्या-2 पर स्पष्ट घोषणा की गई है कि सभी पदोन्नतियाँ टाइम-स्केल(समयबद्ध) के आधार पर की जावेंगी। आपकी कैबिनेट द्वारा इस घोषणापत्र को अनुमोदित करके सरकारी नीति का रूप दिया जा चुका है। हम आपको इस सुकार्य के लिए साधुवाद देते हैं। आपका यह कार्य राजस्थान में लोक प्रशासन को जातिवाद से मुक्त करायेगा, आरक्षित वर्ग के राष्ट्रवादी लोक सेवकों को समानता का अधिकार के साथ आत्म सम्मान दिलायेगा, अनारक्षित वर्ग के निष्ठावान लोकसेवकों को अविधिक अन्याय से मुक्ति दिलायेगा तथा सम्पूर्ण लोकसेवकों में कार्यदक्षता में निश्चित बढोत्तरी करेगा।

पत्र में प्रार्थना की गई है कि उपरोक्त वचन को पूरा करते हुए दिनांक 01.04.1997 से राज्य के सभी सेवा संवर्गों में समयबद्ध पदोन्नति के आदेश यथाशीघ्र जारी करते हुए संशोधित पदोन्नति सूचियाँ एवं संशोधित वरिष्ठता सूचियाँ सभी परिलाभों सहित शीघ्रातिशीघ्र जारी करके प्रदेश के 05 लाख से अधिक कर्मठ, निष्ठावान एवं राष्ट्रवादी लोकसेवकों द्वारा भुगते जा रहे अन्याय, अपमान और आर्थिक नुकसान से मुक्ति दिलवाने की कृपा करें।

आप द्वारा उपरोक्तानुसार न्यायपूर्ण आदेश जारी कर उसकी क्रियान्विति करवाने पर समता आन्दोलन समिति द्वारा प्रदेश की प्रत्येक तहसील से औसतन 100-100 लोकसेवकों/कार्यकर्ताओं को जयपुर बुलाकर लगभग 31 हजार से अधिक की सभा में आप श्रीमान को अभिनन्दित किया जावेगा। इस अभिनन्दन समारोह में हमारे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ तथा अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों द्वारा भी आप श्रीमान का अभिनन्दन किया जावेगा।

आपको इस क्रम में यह छठा और अन्तिम स्मरण-पत्र दिया जा रहा है। आपके शासन के चार साल बीत चुके हैं। यदि अब भी आप श्रीमान अपने चुनाव घोषणापत्र के कथन को पूरा नहीं करते हैं तो जनवरी-2023 से समता आन्दोलन द्वारा आपकी जातिवादी कार्यवाहियों को प्रजातांत्रिक तरीके से जन-जन तक पहुंचाया जायेगा।

सम्पादकीय

सरकार सत्ता संसद???

इसी महिने के शुरू में बिहार प्रांत की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर देखने को मिली। उसमें एक रैली का चित्रण था। रैली में एससी/एसटी/ओबीसी/मुस्लिम को आवेश में नारा लगाते दिखाया गया- ब्राह्मणों भारत छोडो। अधिकांश लोग इसे नजरअंदाज करने की कहकर चादर ओढकर सो गये होंगे। लेकिन हमारे लिये ऐसा करना संभव नहीं है। तथ्यत: संभव नहीं है।

तथ्य ये है कि हमने एक पर्वतारोहण अभियान के दौरान 1981 में श्रीनगर में दो दिन ठहराव किया। वहाँ के तनावपूर्ण माहौल में कश्मीरी पंडितों को भगाने की प्रतिध्वनि साफसुनाई दी। और मात्र 10-11 साल बाद 1992 आते-आते कश्मीर (श्रीनगर) से सारे कश्मीरी पंडितों को बेदर्द तरीके से भगा दिया गया था। अत: लोकतंत्र में किसी भी घटना को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। न ही ऐसा होना चाहिये।

जनबल को नियंत्रित करके उसका राष्ट्रहित में प्रयोग कैसे हो यह पार्टियों का काम है। लेकिन पार्टियां अपने इस दायित्व को भूलकर अब जनबल को बहलाकर, बहकाकर या बरगलाकर केवल सत्ता कब्जाना चाहती हैं। सत्ता को लोक कल्याणकारी होना चाहिये, ऐसी संवैधानिक इच्छा तो बहुत पहले ही दफन की जा चुकी है।

हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गहन और सुदीर्घ सुनवाइयों के बाद यदि जाति आरक्षण के खिलाफटिप्पणी और फैसले देते हैं तो उसे सुना जाना चाहिये। लेकिन दिमाग से ठस हो चुकी पार्टियां अपने तामसिक अहंकार में ऐसा करने को तैयार नहीं हैं। इसका एक बडा और ठोस कारण ये है कि बडी अदालतें मात्र निर्णय दे सकती हैं। उन्हे लागू करवाने की मशीनरी और शक्तियां उनके पास नहीं हैं।

समता आंदोलन अपने जमीनी अनुभव के आधार पर बार-बार कहा है कि जातिगत आरक्षण देश में गृहयुद्ध का कारण बनता जा रहा है। इसकी पुष्टि में 2018 का वह तांडव याद किया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के राई के दाने जैसे कानूनी व्यवस्था पर एससी/एसटी के नाम पर पूरे देश को आतंकित कर दिया गया और 17 निर्दोष लोगों की मौते हुई थीं। अन्तत: बहुत कम समय में केन्द्रऊ सरकार को संविधान संशोधन करके वह "सुप्रीम" सुझाव निरस्त करना पडा। इससे बडा दुखद पक्ष ये है कि संसद में सभी पार्टियों के मुंह पर ताले लग गये थे। ये कैसा लोकतंत्र है?

दुनियाभर में बदलाव हो रहे हैं। यहाँ तक कि ब्रिटेन में भारतवंशी वहाँ का प्रधानमंत्री बनता है तो अमेरिका में भारतवंशी वहाँ का उपराष्ट्रपति बनता हैं। लेकिन विश्वगुरू बनने की लफ्फाजी करने वाला भारत तिल-तिल कर जातीय और शायद गृहयुद्ध की तरफबढ रहा है? सरकारें, सत्ता और संसद लाचार दिख रही हैं। देश में सारी व्यवस्था से ऊपर हो गया है जातिवादी आरक्षण। देश में सैकडों विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ करोडों लोगों के पास किसी तरह के कोई अधिकार नहीं है?

इस स्थिति पर दिलो-दिमाग को हिला देने वाला प्रत्यक्ष उदाहरण डूंगरपुर, बांसवाडा, प्रतापगढ के टी एस पी इलाके में देखने को मिला। वहाँ के कथित सामान्य वर्ग जन कहते हैं- "हमें तो लगता है पी ओ के (पाक अधिकृत कश्मीर) में रह रहे हैं।" यह अनुभव जिन्हे भयभीत नहीं करता वे असंदिग्ध रूप से नींद में चलने की बीमारी से ग्रस्त हैं।

जनता थक चुकी है, देश थक चुका है, न्यायतंत्र थक चुका है। यदि कोई सुख की सांसे ले रहा है तो वो है लोकतंत्र का गला घोटने को आतुर पार्टीतंत्र। लेकिन हमें लगता है उन्ही का पालापोसा, खडा किया गया जातिवाद का भस्मासुर थोडे ही समय में उन्हे भस्म करने को चल पडेगा।

भले ही देश के पंथ प्रधान ने अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जी-20 के मंच से घोषणा की है-"यह युग युद्ध का नहीं है"-। लेकिन उनका यह कथन भारत में भीतर ही भीतर सुलग रहे जातीय युद्ध पर लागू होना चाहिये। जय समता।

जय समता।

- योगेश्वर झाड़सरिया

ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर शंका के बादल

इसे सामान्य वर्ग के लिये बहुत शुभ और उचित माना जा रहा है कि 103 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से भारत सरकार ने आर्थिक गरीबों के लिये 10प्रतिशत आरक्षण दिया है। इसे भारतीय संसद ने 8 व 9 जनवरी 2019 को 124 वें संविधान संशोधन के रूप में पारित किया और 12 जनवरी को राष्ट्रपति महोदय ने अपनी स्वीकृति के हस्ताक्षर किये।

जैसी की संभावना थी, हुआ भी वैसा ही। इसके विरोध में 40 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। संविधान पीठ का गठन हुआ और निर्णय आया कि इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है और विषयान्तर होने से ये कि आरक्षण 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा का उल्लंघन भी नहीं है। लेकिन आग अभी शांत नहीं हुई है बडे नेता स्टालिन ने बयान दिया है कि वह और उनकी पार्टी इस निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेगी।

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय की प्रतिक्रिया जनाक्रोश के रूप में भी देखने को मिली है। टीवी चैनलों पर लम्बी बहसें हुई तो प्रिंट मीडिया ने सम्पादकीय पक्ष-विपक्ष में छापे। दूसरी तरफ आरक्षण सुविधा को लूट रहे वर्गों ने यह आशंका प्रकट की है कि ये सारी कवायद अन्तत: जातिवादी आरक्षण को जडमूल समाप्त कर देने की है। जबकि सामान्य वर्ग उत्साहित है कि कम से कम उसे भी गिना गया है और अब आरक्षण जनित न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने मांग उठानी शुरू कर दी है इस कि आरक्षित वर्ग को भी वे सभी सुविधाएं मिले जो एससी/एसटी पर लागू हैं।

देश का बुद्धिजीवी वर्ग ये सोच समझकर असमंजस में है कि 33 करोड से 135 करोड जनसंख्या तक पहुंचा भारत 75 साल में ये किस विकास का माडल है जहाँ जातिवाद ही देश की सबसे बडी चुनौती बन गया है। संभवत: देश में जाति आरक्षण ही एकमात्र मुददा है जिस पर सर्वाधिक संविधान संशोधन हुए और उससे भी अधिक याचिकाएं बडी अदालतों में दाखिल हो चुकी हैं। बल्कि कई याचिकाएं तो 20 साल से अधिक पुरानी है।

लेकिन इन सब बातों से अलग अनेक लोगों ने यह भय प्रकट किया है कि 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण सामान्य वर्ग के लिये जी का जंजाल बनने वाला है। एक तो ये कि चाहे तकनिकी रूप से कुछ भी कहा जाये लेकिन ये सच तो मानना ही पडेगा कि 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा रेखा इससे टूट गई है। अब बडा खतरा ये है कि एससी/एसटी/ओबीसी जनसंख्या बढोतरी का दाव खेलेंगी। और जैसा कि सब जानते हैं जनसंख्या बढने पर विधानसभा की सीटें बढने का प्रावधान है। राजस्थान में यह प्रावधान बहुत पहले से लागू है। यही कारण रहा कि इस प्रदेश में एससी/एसटी की आरक्षित सीटें 56 से बढाकर 59 कर दी गई हैं।

जनसंख्या बल पर सीटें बढवाने का खेल ही सम्पूर्ण आरक्षित वर्ग की लालयित कर रहा है कि वो जाति आधारित जनगणना की मांग करें और वे पुरजोर कर भी रहे हैं। दुख की बात ये है कि इस मांग में शांत संतुलित माने जाने वाले नीतीश कुमार भी सबसे आगे की पंक्ति में नजर आते हैं।

दूसरी तरफ अनारक्षित वर्ग का एक बडा भाग तो जाति आरक्षण को आवश्यक बुराई की तरह बहुत पहले ही स्वीकार कर चुका है। बल्कि अब तो शेष बचा तबका भी अपनी पीडा भूलकर वाटसअप वाटसअप खेलने में मस्त रहता है। जो इस बात का संकेत है कि अनारक्षित वर्ग पर आरक्षित वर्ग की हुकुमत का सिग्नल डाऊन हो चुका है। और हर तरफ अनास्था और तामसिक स्वार्थ का जो घटाटोप है उसमें किसी ताजी हवा के झोके का खिडकी से झाकते प्रकाश की कल्पना शीघ्रता होगी।

ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सबसे बडा प्रश्न है 3/2 का खंडित आदेश। जैसा कि सब जानते हैं कि न्यूनतम दों जजों की खण्डपीठ का निर्णय भी सुप्रीम निर्णय होता है। और यहां न केवल दो जजों का निर्णय विरोध में है अपितु उनमें से एक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अत: यह खण्डित आदेश एक खतरा भी बन सकता हैं। साधारणत: संविधान पीठ का निर्णय तभी शोभायमान होता है जब वह सर्वसम्मत हो।

- समता डेस्क

राजस्थान में फिर सुलग सकती है आरक्षण की चिंगारी: आमने सामने हुये मंत्री-विधायक

राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर आरक्षण की लपटें उठने लगी हैं। लेकिन इस बार सत्ता में बैठी सरकार के ही मंत्री और एक विधायक आमने.सामने हो गए हैं। इस लिस्ट में दिव्या मदेरणा, मुकेश भाकर से लेकर कई नाम जुड़ते जा रहे हैं।

चुनावी साल में आरक्षण के इस मुद्दे को सुलझाना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बहुत बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं इस बार भूतपूर्व सैनिकों को ओबीसी के 21 प्रतिशत कोटे में आरक्षण की अधिसूचना बड़ा मुद्दा बन जाए। राजस्थान में हुए पिछले 5 विधानसभा चुनाव तो यही कहानी बयां करते हैं।

पिछले 22-25 वर्षों में राजस्थान में गरीब सवर्णों को आरक्षणए जाटों को ओबीसी में शामिल कर आरक्षण देनेए गुर्जरों को ओबोसी से बाहर विशेष श्रेणी में आरक्षण देने, आदिवासियों को विशेष आरक्षण सहित हाल ही माली.सैनी.कुशवाहा समाजों ने ओबीसी के भीतर विशेष कोटे में आरक्षण देने की मांग बुलंद की है।

आरक्षण की लंबी लड़ाई के चलते 70 लोगों की मौत हुई तो सैकड़ों लोग इस दौरान घायल हुए। अरबों की प्रोपर्टी बर्बाद हो गई, फिर भी यह आग रह-रह कर सुलग ही जाती है। जब चुनाव नजदीक आते हैं, तो आरक्षण का भूत बोतल से बाहर आए बिना नहीं रहता।

2003 से अब तक चुनावों के परिणामों पर हावी रहा आरक्षण मुद्दा

2002 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राजस्थान में एक सभा में जाटों को ओबीसी में आरक्षण देने का वादा किया तो 2003 में भाजपा को पहली बार 200 में 120 सीटें मिलीए अन्यथा राजस्थान में भाजपा को कभी 95 सीटें भी नहीं मिली थीं। राजस्थान में जाट समुदाय को परंपरागत रूप से कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था, लेकिन 2003 में जाट समुदाय ने खुलकर भाजपा का साथ दिया था।

अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलनरत विधायक हरीश चौधरी

राजस्थान में बाड़मेर से 2009 में पहली बार सांसद और 2018 में पहली बार विधायक बन कर राजस्व मंत्री बने हरीश चौधरी को राहुल गांधी के करीबी नेताओं में से गिना जाता है। उन्हें पंजाब में पार्टी ने प्रभारी भी बनाया है और वे हाल ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने मलिल्कार्जुन खड़गे की नई गठित टीम में भी सदस्य हैं। चौधरी पिछले एक वर्ष से ओबीसी में भूतपूर्व सैनिकों को शामिल करने के एक सरकारी निर्णय का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि अप्रेल 2018 में तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को ओबीसी के 21 प्रतिशत कोटे में आरक्षण देने की अधिसूचना को निरस्त किया जाए।

पौराणिक कथन : 'कांची'

कांची सनातन धर्म की सात में से एक पुरी जो मद्रास के पास कांजीवरम के नाम से प्रसिद्ध है।

धर्म धुरन्धर मस्त कलन्दर,
थोडा बाहर थोडा अंदर।
संस्कार और संस्कृति पर-
नाच रहे जाती के बन्दर।।

कविता

'आरक्षण एक अभिशाप है !!

कहा प्रभु ने जीवात्मा से
वक़्त तेरा धरती पर जन्म का आया है।
मेरा आशीर्वाद है तुझे
जन्म तेरा उच्च कुल में होने वाला है।
सुन वत्स चिंतित होकर
बोल पड़ा भगवान से
आरक्षण नामक राक्षस धरती पर पाया जाता है
धरती पर उच्च कुल में पैदा होना
मौत से बदतर हो जाता है
दिया वरदान आपका यह
अभिशाप सा प्रतीत होता है।
अचंभित होकर प्रभु ने कारण इसका पूछ लिया
भगवान के निवेदन पर वत्स
ने उनको ये उत्तर दिया।
पूरी कहानी आरक्षण की आज में आपको सुनाता हूँ
सामान्य वर्ग की विरह वेदना
आज मैं आपको बताता हूँ।
दीन दलित लोगों के सुधार के लिए यह जन्मा था
दिलाने समाज में मान सम्मान
इसको आगे रगड़ा था
जब इसने पूरी धरती पर अपना पैर पसारा था
धरती पर आरक्षण नामक
एक असुर तब अस्तित्व में आया था
धीरे.धीरे जिसने सामान्य वर्ग
को अपना आहार बनाया था।
आज न कोई दीन न दलित बच पाया है
दीन दलित की श्रेणी में
अब सामान्य वर्ग आया है।
आरक्षण के इस खेल में
न जाने कितने हीरे पत्थर रहे
और न जाने कितने पत्थर को
हीरे की भांति दिखलाया है।
हर क्षेत्र में अब इसका ही बोल बाल है
जिसको न ज्ञान सही से
उसके हाथों में उद्धार दे डाला है।
वत्स रोते हुए.
अभी तक तो सरकारी शिक्षा के क्षेत्र में
ही ये मौजूद था
सुना मैंने अब तो निजी क्षेत्रों
के लिए भी ये चुना गया
ऐसे में कैसे प्रभु मैं
जीवन यापन अपनों का कर पाउँगा।
अत: विनती आपसे बस यही अब कह पाउँगा
जन्म मुझे गर देना तो दलित वर्ग में ही देना
वरना मुझे कभी भी धरती पर
जाने को मत कहना।
जान आरक्षण की महिमा प्रभु भी चिंतित हो गए
सोचा अगर ये धरती से
स्वर्ग लोक में आ गया।
क्या होगा ये सोचकर भी मन उनका घबरा गया
सबसे अच्छा इस असुर को
धरती पर ही रहने दो
वत्स ये वर मैं देता तुमको
इसको दलित वर्ग में ही जन्म लेने दो।
वर सुनकर जीवात्मा अत्यंत प्रसन्न हो गई
धरती पर आरक्षण नाम के
असुर से जो वो बच गई।।
सोशल मीडिया से साभार

अटल और अनम्य

गतांग से आगे:

खुली आँखों से एक बार दुनिया पर दृष्टि डालें और देखें कि कितनी तेजी से नए नए उत्पाद आ रहे हैं और कितनी तेजी से नई नई प्रौद्योगिकियाँ विकसित की जा रही हैं। जिस तरह के समाज में हम रह रहें हैं, उसमे यह निर्धारित करने में कि किस उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा और किस उत्पाद को रोका जाएगा, कौन सी प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी और कौन सी नहीं - सरकारी ढाँचा और सरकारी नीति एक महत्वपूर्ण कारक है।

क्या इसमें अद्यतन जानकारी एवं व्यापक विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है ? आप लोगों का चयन उनकी जाति के आधार पर करेंगे या विभिन्न प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उनकी जानकारी और कुशलता के आधार पर करेंगे ?

''लेकिन क्या आपको लगता है कि वर्तमान में इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों में यह सब (जानकारी और कुशलता) मौजूद है ?''

मान लेते हैं, नहीं है।

ऐसे में पदोन्नति की अर्हता -शर्तें और चयन प्रक्रिया हमें यह ध्यान में रखकर निर्धारित करनी चाहिए कि चूँकि पहले से मौजूद अधिकारी -कर्मचारी संबंधित कार्य में पूरी तरह से कुशल और योग्य नहीं हैं, अत: अब योग्य और कुशल व्यक्तियों को ही सेवा में लिया जाए ? या यह बात ध्यान में रखकर कि कम से कम आधी रिक्तियाँ और पदोन्नतियाँ उन लोगों को मिलें, जो उनके लिए आवश्यक अर्हता ही नहीं रखते, हाँ, किसी जाति विशेष से संबंध जरूर रखते हैं !

केवल 'अति-विशेषज्ञता' के लिए

ऐसा भी तो नहीं है कि कुशलता - विशेषज्ञता की आवश्यकता एक या दो मंत्रालयों तक ही सीमित है ।सच पूछा जाए तो इसकी आवश्यकता सरकारी ढाँचे के एक-एक कोने में है । अंतरराष्ट्रीय बाजार में लेन-देन, रक्षा सेवाओं में शस्त्र प्रणाली का मूल्यांकन, टिहरी बाँध के पर्यावरणीय प्रभाव का पता लगाना, विभिन्न उत्पादों का मूल्यांकन करना, परमाणु बनाम तापीय बनाम जल विद्युत् ऊर्जा संयंत्रों की सापेक्ष गुणवत्ता का मूल्यांकन करना । ये अलग अलग मंत्रालयों के दैनिक कार्य बन गए हैं । इनमें से कौन सा ऐसा कार्य है, जिसमें विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है ?

कैंसर या जिगर की चिकित्सा अथवा नितंब के जोडों को बदलना क्या इनमें उन कार्यों की अपेक्षा कम कुशलता और विशेषज्ञता की आवश्यकता है, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में सूचीबद्ध किया है ? चिकित्सालय- प्रबंधन में भी क्या कम कुशलता की आवश्यकता है, जहाँ

पदोन्नति की अर्हता -शर्तें और चयन प्रक्रिया हमें यह ध्यान में रखकर निर्धारित करनी चाहिए कि चूँकि पहले से मौजूद अधिकारी -कर्मचारी संबंधित कार्य में पूरी तरह से कुशल और योग्य नहीं हैं, अत: अब योग्य और कुशल व्यक्तियों को ही सेवा में लिया जाए ? या यह बात ध्यान में रखकर कि कम से कम आधी रिक्तियाँ और पदोन्नतियाँ उन लोगों को मिलें, जो उनके लिए आवश्यक अर्हता ही नहीं रखते, हाँ, किसी जाति विशेष से संबंध जरूर रखते हैं !

ये सारे कार्य संचालित किए जाते हैं ? सभी अस्पतालों को एक साथ नियंत्रित, निर्देशित और संचालित करनेवाले मंत्रालय में क्या कम कुशलता-विशेषज्ञता की आवश्यकता है ?

आज के युग में ऐसा कौन सा क्षेत्र है, जिसमें केवल 'फाइल खिसकाने ' से काम चल जाएगा ?

हमें यह भी तो ध्यान में रखना है कि अब हम 'ग्राम गणराज्य ' का एक अलग, आत्मनिर्भर समूह नहीं रहे। सरकारी ढाँचे का एक एक अंग एक-दूसरे से अंतर्संबद्ध है, चाहे वह अर्थव्यवस्था हो या शासन-प्रशासन। किसी एक क्षेत्र-माना शेष विश्व के साथ आर्थिक संबंधों का प्रबंधन- में अपना कुशलता स्तर गिराकर या किसी एक विभाग-माना पुलिस-में जातिवाद भरकर हम पूरे सरकारी ढाँचे को अप्रभावित नहीं बनाए रख सकते ।

योग्यता पर रोक

आधी रिक्तियों, पदोन्नतियों और शिक्षण संस्थाओं में आधी सीटों पर आरक्षण देकर योग्य व्यक्तियों को सरकारी ढाँचे से बाहर रहने के लिए विवश ही तो किया जा रहा है । इससे वास्तविक प्रतिभा सरकारी सेवाओं से बाहर रह जाएगी; क्योंकि योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्ति निश्चित रूप से यह जान लेगा कि यदि वह अपनी योग्यता के बल पर किसी तरह सरकारी सेवा में नियुक्त हो जाएगा तो रोस्टर के अनुसार आरक्षण-प्राप्त जाति का न होने की स्थिति में उसे पदोन्नति नहीं मिलनेवाली है ।

''लेकिन क्या आप यह कहना चाहते हैं कि पिछडी जाति-वर्ग के लडके लडकियों में योग्यता या प्रतिभा नहीं है ?''

बिलकुल नहीं ।

बात यह नहीं है किसी व्यक्ति या समूह में आनुवंशिक रूप से कोई कमी है । बात यह है कि पद से संबंधित कार्य के लिए योग्य या अर्ह न होने के बावजूद किसी जाति या वर्ग विशेष को सिर्फ इसलिए नौकरी दे दी जाती है कि वे पद उनके लिए आरक्षित होते हैं ।

निम्न दो तथ्यों से यह बात स्पष्ट हो जाती है

* ये ऐसे लोग हैं, जो अपनी योग्यता के बल पर अर्हता नहीं प्राप्त कर पाते और जो अपनी योग्यता के बल पर अर्हता प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें आरक्षण कोटे के अंतर्गत नहीं गिना जाता ।
* इन्हें अपने सेवा कैरियर में आरंभिक नियुक्ति से लेकर पदोन्नति तक आरक्षण की बैसाखी की आवश्यकता होती; इसलिए तो मंडल आयोग ने आरंभिक नियुक्ति के साथ साथ पदोन्नति के मामले में भी आरक्षण पर जोर दिया था और इसी बात को ध्यान में रखकर संविधान में संशोधन किया गया इसीलिए पूर्व स्नातक पाठ्यक्रमों के साथ साथ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भी आरक्षण की माँग की जाती है ।

इस प्रकार, मौके पर वे कार्य (नौकरी) के लिए अर्ह नहीं हैं; और कार्य मौके पर ही संपन्न किया जाता है ।

सरकारी ढाँचे में विघटन

ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की आरक्षण नीति केवल योग्य व्यक्तियों को सरकारी सेवा में जाने के लिए हतोत्साहित करेगी । सच यह है कि इससे पूरे सरकारी ढाँचे में एक प्रकार के विघटन की स्थिति पहले ही उत्पन्न हो चुकी है।

सरकारी विभाग और सेवाएँ कई राज्यों में पहले ही जातीय आधार पर विभाजित हो गई हैं।चूँकि योजना सभी सरकारी विभागों / सेवाओं में लागू होगी, अत: इससे उत्पन्न होनेवाली समस्या भी किसी एक विभाग या मंत्रालय विशेष तक सीमित नहीं रह सकती । पूरा सरकारी ढाँचा इसकी चपेट में आ जाएगा ।

एक पुलिस अधिकारी फायरिंग का आदेश देता है, पाँच लोग मारे जाते हैं । ऐसे में उस अधिकारी का क्या अंजाम होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका वरिष्ठ अधिकारी उसकी जाति का है या विरोधी जाति का; गृह विभाग का अधिकारी उसकी जाति का है या अन्य जाति का ।

आधी रिक्तियों, पदोन्नतियों और शिक्षण संस्थाओं में आधी सीटों पर आरक्षण देकर योग्य व्यक्तियों को सरकारी ढाँचे से बाहर रहने के लिए विवश ही तो किया जा रहा है। इससे वास्तविक प्रतिभा सरकारी सेवाओं से बाहर रह जाएगी;

....शेष अगले अंक में

अरूण शौरी की पुस्तक 'आरक्षण का दंश' से साभार

गरीब सवर्णों को आरक्षण बरकरार

सुप्रीम फैसला : संविधान पीठ ने कहा, संविधान संशोधन बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं

नई दिल्ली। दाखिले और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)को 10 फीसदी आरक्षण बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तीन-दो के बहुमत से सुनाये फैसले में गरीब सवर्णों के कोटे को संवैधानिक ठहराया। फैसले में कहा गया कि ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए संविधान में 103वें संशोधन से संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं होगा। पांच जजों की संविधान पीठ ने जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला एम.त्रिवेदी और जस्टिस जे बी पारदीवाला ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सहमति जतायी। तीनों जजों ने फैसले में कहा कि यह 50 फीसदी आरक्षण की सीमा का उल्लंघन नहीं करता। वहीं, सीजेआई यू यू ललित और जस्टिस रविन्द्र भट्ट ने असहमति जताते हुये ईडब्ल्यूएस आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया।

सीजेआई ललित की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुनाया। सीजेआई ने कहा कि कोटे को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अलग-अलग फैसले हैं। इसके साथ ही पीठ ने ईडब्ल्यूएस कोटे के खिलाफ दायर याचिकाएं खारीज कर दीं। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए केन्द्र ने संविधान में 103वां संशोधन किया था। इसकी वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस मामले को पांच अगस्त 2020 को तत्कालीन सीजेआई एस ए बोवडे, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने संविधान पीठ को भेजा था।

3-2 के बहुमत से ईडब्ल्यूएस के 10 प्रतिशत कोटे पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

संविधान के खिलाफ नहीं

आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है। यह किसी भी तरह से आरक्षण के मूल स्वरूप को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके जरिये समानता का ख्याल रखा गया है।

जस्टिस दिनेश माहेश्वरी

लोगों की जरूरत समझी

एससी-एसटी, ओबीसी को पहले से आरक्षण मिला हुआ है। उसे सामान्य वर्ग के साथ शामिल नहीं किया जा सकता। इसके तहत लाभ भेदभावपूर्ण नहीं है। विधायिका लोगों की जरूरत को समझती है।

जस्टिस बेला त्रिवेदी

लाभ पहुंचाने का जरिया

आरक्षण का अंत नहीं है। इसे निहित स्वार्थ नहीं बनने देना चाहिये। यह बड़े स्तर पर लोगों को फायदा पहुंचाने का जरिया है। हालांकि आरक्षण को अनिश्चित काल के लिए नहीं बढाना चाहिये।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला

सबको जगह मिलनी चाहिये

50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा पार करना मूल ढांचे के खिलाफ है। यह संविधान की मूल भावना के विपरीत है। कोई भी क्राइटेरिया अपनाएं, उसमें सबको जगह मिलनी चाहिये।

सीजेआई यू.यू. ललित

50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण ठीक नहीं

आबादी का बड़ा हिस्सा एससी, एसटी, ओबीसी का है। उनमें कई गरीब है। इसलिए 103वां संशोधन गलत है। 50 फीसदी से ऊपर आरक्षण देना ठीक नहीं है। अनुच्छेद 15(6) और 16(6) रद्द होने चाहिए।

जस्टिस रविन्द्र भट्ट

जो बढ गए, उन्हें पिछड़े वर्ग से हटाएं

फैसले ने जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि जो लोग आगे बढ गये है, उन्हें बैकवर्ड क्लास से हटाया जाना चाहिये, जिससे जरूरतमंदों की मदद की जा सके। बैकवर्ड क्लास तय करने की प्रक्रिया पर फिर से समीक्षा करने की जरूरत है, ताकि आज के समय में यह प्रासंगिक रह सके। उन्होंने कहा कि आरक्षण सामाजिक और आर्थिक असमानता को खत्म करने के लिए है।

याचिकाकर्ताओं ने क्या दलील दी

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि आरक्षण का मकसद सामाजिक भेदभाव झेलने वाले वर्ग का उत्थान था। अगर गरीबी आधार है तो उसमें एससी, एसटी,ओबीसी को भी जगह मिले। ईडब्ल्यूएस कोटा 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा का उल्लंघन है।

सरकार का पक्ष

याचिकाओं पर सरकार ने अपना पक्ष रखते हुये कहा कि ईडब्ल्यूएस को समानता का दर्जा दिलाने के लिए यह व्यवस्था जरूरी है। इससे आरक्षण पा रहे दूसरे वर्ग को नुकसान नहीं है। आरक्षण की 50 प्रतिशत की जो सीमा कही जा रही है, वह संवैधानक व्यवस्था नहीं है। यह कहना गलत होगा कि इसके परे जाकर आरक्षण नहीं दिया जा सकता।

ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ किसे

जनवरी 2019 में केन्द्र सरकार ने 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया था। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के खण्ड 6 में इस कोटे को जोड़ा गया। इसके तहत राज्य सरकार शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले व नौकरी में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दे सकती है। यह सिर्फ सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है। अन्य वर्गों ओबीसी 27 प्रतिशत, एससी 15 प्रतिशत, व एसटी 7.5 प्रतिशत आरक्षण पहले से है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण किसी व्यक्ति और परिवार की वार्षिक आय के आधार पर मिलता है। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिये। इसमें स्त्रोतों में सिर्फ सैलरी नहीं, कृषि, व्यवसाय व अन्य पेशे से होने वाली आय भी शमिल है।

भाजपा ने बताया जीत, कांग्रेस ने किया स्वागत

भाजपा ने फैसले को मोदी सरकार की सामाजिक जीत बताया है। पार्टी के महासचिव सी.टी. रवि ने कहा कि फैसला भारत के गरीबों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के मिशन की एक और जीत है।

कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने फैसले का स्वागत करते हुये कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान बरकरार रखना सही है।

हलफनामा: 'इस्लाम और ईसाई धर्म में जातीय भेदभाव नहीं'

केन्द्र धर्मान्तरण वाले दलितों को एससी दर्जा देने से सहमत नहीं

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार इस्लाम व ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने से सहमत नहीं है। इस मामले में याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में सरकार ने कहा कि इस्लाम व ईसाई धर्म अपनाने वालों को एससी का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इन धर्मों में जातीय आधार पर भेदभाव नहीं है। ईसाई व इस्लाम समाज में छुआछूत की प्रथा प्रचलित नहीं थी। इनके लोगों को उत्पीडन का सामना नहीं करना पडा।

सरकार ने कहा कि सिखों, बौद्ध धर्म में धर्मान्तरण की प्रकृति ईसाई धर्म में धर्मान्तरण से भिन्न रही है। धर्म परिवर्तन करने पर व्यक्ति जाति खो देता है। कोर्ट राष्ट्रपति के आदेश में बदलाव का निर्देश नहीं दे सकता।

आयोग तय करेगा

इस मुददे के महत्व और संवेदनशीलता को देखते हुए पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया है, जो उन लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने पर गौर करेगा, जो अनुसूचित जाति से संबंधित है, लेकिन अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए हैं।

अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट का जिक्र

हलफनामे में राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट के एक असहमति नोट का भी जिक्र किया। इसमें कहा कि ईसाई और इस्लाम अनिवार्य रूप से विदेशी धर्म हैं। वे जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं देते। ऐसे लोगों को एससी का दर्जा देना उन धर्मों में जाति व्यवस्था की शुरूआत करना होगा। सरकार ने कहा कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने जमीनी हकीकत के अध्ययन के बिना सभी धर्मों में धर्मान्तरण वाले लोगों को एससी का दर्जा देने की सिफारिश की थी। सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया था।

एससी-एसटी एक्ट में गिरफ्तार आरोपी ने थाने में लगाई फांसी, थानाध्यक्ष निलंबित

अपनी गिरफ्तारी को बर्दाश्त नहीं कर सका वृद्ध, इज्जत खोने के डर से की आत्महत्या

कोरानसराय थाना के हिरासत में रखे गए एससी-एसटी मामले में गिरफ्तार एक वृद्ध आरोपी ने अपने ही गमछे का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली है। इसके बाद पुलिस द्वारा तुरंत वृद्ध आरोपी को पंखे की कुंडी से उतारकर डॉक्टर के पास ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह सूचना जैसे ही बक्सर एसपी नीरज को लगी आनन फनन में इसे बडी लापरवाही मानते थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर घटना की जांच में स्वंय जुट गए। मिली जानकारी के मुताबिक कोपवां निवासी यमुना सिंह 70 वर्षीय वृद्ध को एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज में बुधवार की शाम गिरफ्तार कर थाना लाया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ के बाद कम्प्यूटर रूम में बैठा बाहर से बंद कर दिया गया। दरअसल 16 अक्टूबर को अपने ही गांव के भोला पासवान व मिथिलेश पासवान के परिजनों से बच्चों के खेल खेल में हुए झगडे के कारण विवाद बढ गया था। जिसके बाद भोला पासवान के द्वारा यमुना सिंह के परिजनों पर एससी/एसटी के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। वहीं यमुना सिंह के परिजनों की ओर से भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

हाजत के बजाए कम्प्यूटर रूम में रखा गया आरोपी

नियम के अनुसार किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद हाजत में रखा जाता है। जबकि इस आरोपी की उम्र देखते हुए कम्प्यूटर रूम में रखा गया। वही रात्रि में एकांत पाकर यमुना सिंह ने स्वंय के गमछे एवं धोती को फंदा बनाकर कम्प्यूटर रूम में लगे पंखा से लटक कर अपना जीवन लीला समाप्त कर लिया। इस पूरी घटना का वीडियो थाना में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मृतक आत्म-स्वाभिमानी था। ठेस पहुंचने के कारण यह कदम उठा लिया होगा, क्योंकि गांव में वह काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in